


12/11/25

... 12/11/25 ... को पेश हो

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता जर्ची हाप दवा
आगे नहीं चलाने के निवेदन को स्वीकार
किया जाकर वादी का वाद इसी तल पर
खारीज किया गया। वाद खारीज होने पर
प्रा. पत्र अस्थाई निवेद्यता का कोई अंकित
शेष नहीं रह जाय। अतः प्रा. पत्र इसी
तल पर खारीज किया जाकर पत्रावली
नम्बल से काटे जाविले दफ्तल हो।


उप खण्ड अधिकारी
अवा जिला अदालत (राज.)